246

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनरीक्षण R 3868–I–16

दिनांक 15-11-16 को श्री रघु० के० बाजपेयी अभि० द्वारा प्रस्तुत।
15-11-16
SO

S24
15-11-16

मांगीबाई पत्नी रामनिवास जाति मीना

निवासी–दलारनाकलां, तहसील–श्योपुर

जिला–श्योपुर म.प्र.

विरूद्ध

1. म.प्र.शासन
2. भगवती पुत्र स्व.रमेशचन्द्र वैश्य
3. मुरारी पुत्र स्व.रमेशचन्द्र वैश्य
4. गीताबाई विधवा स्व.रमेशचन्द्र वैश्य

कस्बा श्योपुर तहसील–श्योपुर, जिला–श्योपुर

अपर कलेक्टर जिला–श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 90/2010–11/स्व.निग. में पारित आदेश दिनांक 19–09–2016 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

प्रतिप्राप्त
15/11/16

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, अपर कलेक्टर महोदय का विवादित आदेश अवैध एवं विचाराधिकार रहित होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय/अपर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 26–02–2000 को पारित आदेश को लगभग 11 वर्ष बाद स्वयंमेव पुनरीक्षण में लेकर निरस्त करने में गंभीर भूल की है स्वयंमेव पुनरीक्षण की कार्यवाहीं उचित समयावधि में प्रारंभ की जा सकती है 11 वर्ष की अवधि उचित समय की परिभाषा में नहीं आती है.

3. यह कि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1998 (1) म.प्र. वीकली नोट्स 26 में स्वयंमेव पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये विधि स्थापित करने के लिये अवधारित किया है कि किसी आदेश को स्वयंमेव पुनरीक्षण में लेने के लिये एक वर्ष की समयावधि भी उचित नहीं है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त न्याय दृष्टांत के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय ने 1990 रेवेन्यू निर्णय 407,

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.3868-एक/2016 जिला- श्योपुर

मांगीबाई विरूद्ध म.प्र. शासन अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला- श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 90/2010-11/स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, चम्बल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 10-10-19 को आयुक्त, चम्बल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	